संख्याः-17/2020/1936/78-1-2020-134आई0टी0/2017

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांक 02 दिसम्बर, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 4105.51 लाख में से, धनराशि रू0 1000.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 3105.51 लाख के सापेक्ष, धनराशि रू0 900.00 लाख (रूपये नौ सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपीडेस्को) के पत्र संख्या-2678, दिनांक 27-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन के लिए कॉल सेन्टर (सीसीए) संस्था के संबंध में भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-42-अन्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4105.51 लाख में से धनराशि रू0 1000.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 3105.51 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 900.00 लाख (रूपये नौ सौ लाख मात्र) को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरालेखा-जोखाअपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चितकी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(4) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(6) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजनान्तर्गत कन्सलटेंट संस्था हेतु तथा कॉल सेन्टर एजेन्सी हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजनान्तर्गत कन्सलटेंट संस्था हेतु तथा कॉल सेन्टर एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-07 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय में, के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-797/ दस-2020, दिनांक 27-11-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-17/2020/1936(1)/78-1-2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय संख्याकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- जिलाधिकारी, कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपी यूनिट लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ
12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योगअनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
15- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।